न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 14 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

1. धन्नालाल पुत्र गोपाल **(मृतक)**
1/1. बृजमोहन पुत्र धन्नालाल **(मृतक)**
1/1/1 कन्हैयालाल
1/1/2. सत्यनारायण पुत्रगण बृजमोहन
1/1/3. सावित्रीबाई
1/1/4. मंजूबाई पुत्रियां बृजमोहन
1/1/5. मन्नीबाई बेवा बृजमोहन **(आदेश दिनांक 09.03.2022 से डिलीट)**
1/2. जड़ावचन्द पुत्र धन्नालाल **(मृतक)**
1/2/1. भंवरलाल
1/2/2. लोकेश कुमार
1/2/3. मुकेश कुमार
1/2/4. अशोक पुत्रगण जड़ावचन्द सेन, स्कूल के पास, वार्ड 7, ग्राम सीमलिया, तह. मांगरोल जिला बारां (राज.) पिन–325215
1/2/5. संगीता पुत्री जड़ावचन्द पत्नि गिरीश सेन, 466–B श्रीनाथपुरम्, इंजिनियरिंग कॉलेज, कोटा, जिला–कोटा (राज.) पिन–324010
1/2/6. रीना पुत्री जड़ावचन्द पत्नि गोपाल, मकान नं. A–30, देवली अरब रोड़, आकाशनगर स्पेशल, विनायक रिसोर्ट के सामने, बोरखेड़ा, कोटा जिला कोटा (राज.) पिन–324001
1/2/7. गायत्रीबाई पुत्री जड़वचन्द पत्नि प्रेमनारायण, नागर मोहल्ला, मेरमा तालाब, जिला–बारां (राज.)
1/2/8. जीवन्ता पुत्री जड़ावचन्द पत्नि हरिशंकर, मुख्य मार्ग, खेड़ली बेरिसाल, जोरावरपुरा जिला–कोटा (राज) पिन–325009
1/2/9. ममता पुत्री जड़ावचन्द पत्नि महावीर सेन, वार्ड नं. 10, नाई मोहल्ला, बड़ौदा जिला–श्योपुर (म.प्र.) पिन–476339
1/2/10. संतोष पुत्री जड़ावचन्द निवासी जाति नाई, निवासी कंकाली कुई बारां जिला बारां
1/2/11. चाहन्याबाई बेवा जडावचन्द
1/3. कस्तूरीबाई बेवा धन्नालाल **(मृतक)**
2. गिरिजाबाई पत्नि रामरतन
3.लटूरबाई पत्नि रामचरण जातिगण मीणा निवासीगण सीमल्या तह. मांगरोल जिला बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 2 व 3)**

आदेश दिनांक–07.02.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:29 IST
Reason: SelfAttested

1– प्रार्थी सरकार [illegible] रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तह[illegible] प्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख[illegible] रकबा [illegible] है., 293/752 रकबा 0.08 है., 293/725 रकबा 0.18 है. कुल किता 3 रकबा 0.36 है. [illegible] ग्राम सीमल्या त[illegible] मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 [illegible] में दर्ज है। उक्त आ[illegible] सेटलमेंट अवधि

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

सम्वत् 2014—23 में खसरा नंबर 281 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला तथा खसरा नंबर 282 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के नवीन ख0नं0 293/726 रकबा 0.10 है., 293/752 रकबा 0.08 है. 293/725 रकबा 0.18 है. कुल किता 3 रकबा 0.36 है., किस्म नहरी I कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से कन्हैयालाल, सत्यनारायण पुत्रगण बृजमोहन, सावित्रीबाई, मन्जूबाई पुत्रियां बृजमोहन, मुन्नीबाई बेवा बृजमोहन हि. 1/3, जड़ावचन्द पुत्र धन्नालाल हि. 1/3, कस्तूरीबाई बेवा धन्नालाल जातिगण नाई, निवासी सीमल्या के ख0नं0 293/726 रकबा 0.10 है., गिरिजाबाई पत्नि रामरतन, लटूरबाई पत्नि रामचरण जातिगण मीणा निवासी सीमल्या के ख. नं. 293/752 रकबा 0.08 है. तथा धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी सीमल्या के ख. नं. 293/725 रकबा 0.18 है. खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067—70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 व 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3— दौराने बहस भी अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014—23 में खसरा नंबर 281 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला तथा खसरा नंबर 282 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के नवीन ख0नं0 293/726 रकबा 0.10 है., 293/752 रकबा 0.08 है. 293/725 रकबा 0.18 है. कुल किता 3 रकबा 0.36 है., किस्म नहरी I कायम कर अवैधानिक रूप से कन्हैयालाल, सत्यनारायण पुत्रगण बृजमोहन, सावित्रीबाई, मन्जूबाई पुत्रियां बृजमोहन, मुन्नीबाई बेवा बृजमोहन हि. 1/3, जड़ावचन्द पुत्र धन्नालाल हि. 1/3, कस्तूरीबाई बेवा धन्नालाल हि. 1/3 जातिगण नाई, निवासी सीमल्या के, ख0नं0 293/726 रकबा 0.10 है., गिरिजाबाई पत्नि रामरतन, लटूरबाई पत्नि रामचरण जातिगण मीणा निवासी सीमल्या के, ख. नं. 293/752 रकबा 0.08 है. तथा धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी सीमल्या के ख. नं. 293/725 रकबा 0.18 है. खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067—70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसी[illegible] [illegible]रोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible] [illegible] राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— हमने पेरोकार [illegible] की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है [illegible] सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

[illegible] में विवादित आराजी खसरा नंबर 281 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला खाता सरकार दर्ज है। जिसका कन्हैयालाल, सत्यनारायण पुत्रगण बृजमोहन, सावित्रीबाई, मन्जूबाई पुत्रियां बृजमोहन, मुन्नीबाई बेवा बृजमोहन, जड़ावचन्द पुत्र धन्नालाल, कस्तूरीबाई बेवा धन्नालाल जातिगण नाई, निवासी सीमल्या, गिरिजाबाई पत्नि रामरतन, लटूरबाई पत्नि रामचरण जातिगण मीणा निवासी सीमल्या तथा धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी सीमल्या को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 293/726 रकबा 0.10 है., 293/752 रकबा 0.08 है. 293/725 रकबा 0.18 है. कुल किता 3 रकबा 0.36 है., किस्म नहरी I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार कन्हैयालाल, सत्यनारायण पुत्रगण बृजमोहन, सावित्रीबाई, मन्जूबाई पुत्रियां बृजमोहन, मुन्नीबाई बेवा बृजमोहन, जड़ावचन्द पुत्र धन्नालाल, कस्तूरीबाई बेवा धन्नालाल जातिगण नाई, निवासी सीमल्या, गिरिजाबाई पत्नि रामरतन, लटूरबाई पत्नि रामचरण जतिगण मीणा निवासी सीमल्या तथा धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी सीमल्या को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। कन्हैयालाल, सत्यनारायण पुत्रगण बृजमोहन, सावित्रीबाई, मन्जूबाई पुत्रियां बृजमोहन, मुन्नीबाई बेवा बृजमोहन, जड़ावचन्द पुत्र धन्नालाल, कस्तूरीबाई बेवा धन्नालाल जातिगण नाई, निवासी सीमल्या, गिरिजाबाई पत्नि रामरतन, लटूरबाई पत्नि रामचरण जतिगण मीणा निवासी सीमल्या तथा धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी सीमल्या को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

5– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम सीमल्या में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 293/726 रकबा 0.10 है., 293/752 रकबा 0.08 है. 293/725 रकबा 0.18 है. कुल किता 3 रकबा 0.36 है., किस्म नहरी I जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 281 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला से बना है जिसका कन्हैयालाल, सत्यनारायण पुत्रगण बृजमोहन, सावित्रीबाई, मन्जूबाई पुत्रियां बृजमोहन, मुन्नीबाई बेवा बृजमोहन, जड़ावचन्द पुत्र धन्नालाल, कस्तूरीबाई बेवा धन्नालाल जातिगण नाई, निवासी सीमल्या, गिरिजाबाई पत्नि रामरतन, लटूरबाई पत्नि रामचरण जतिगण मीणा निवासी सीमल्या तथा धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति नाई निवासी सीमल्या को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8– तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज [illegible] जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:29 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां